अनुदान संख्या 39 – पेंशन
GRANT No. 39–PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*25,96,00*	*29,56,00*	*29,05,07*	*–50,93*
पूरक	*Supplementary*	*3,60,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	7307,54,00	8594,54,00	8692,77,61	+98,23,61
पूरक	Supplementary	1287,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. इस अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेंशनों के संराशीकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम-सरकारी भविष्य निधि, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम और निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के संवितरण और केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के पेंशनभोगियों के चिकित्सा उपचार के लिए था।

2. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*50.93 लाख रु.)* मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए *360.00 लाख रु.* के पूरक *विनियोग* का 14 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions Charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme-Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme, Defined Contribution Pension Scheme and medical treatment of CGHS Pensioners.

2. In the *charged* portion of the grant, the overall savings *(Rs.50.93 lakhs)* constituted 14 percent of the supplementary *appropriation* of *Rs.360.00 lakhs* obtained in March, 2008 and 2 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Savings/excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" *पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ*	Major Head "2071" *Pensions and other Retirement Benefits*				
मू.	*O.*	*2588.00*	*2948.00*	*2898.46*	*–49.54*
पू.	*S.*	*360.00*			

(I) *2.50 लाख रु.* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "सिविल - भारत के राष्ट्रपति की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ - राष्ट्रपति (परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम के अधीन अन्य हकदारियां" के अंतर्गत *60.00 लाख रु.* के मूल *विनियोग* को *69.00 लाख रु.* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *129.00 लाख रु.* कर दिया गया, तथापि, जो *34.88 लाख रु.* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(III) "सिविल - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्य सरकारों से वसूली योग्य पेंशन संबंधी प्रभार" के अंतर्गत *441.21 लाख रु.* की बचत *(560.00 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

3. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) "सिविल - अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन" के अंतर्गत *270.31 लाख रु.* का अधिक व्यय (*500.50 लाख रु.* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत *75.17 लाख रु.* का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत *विनियोग* का 38 प्रतिशत था।

(I) *Appropriation* of *Rs.2.50 lakhs* remained wholly unutilised under two heads.

(II) Under "Civil - Pension and other retirement benefits of the President of India – Other entitlements under the President's (Emoluments and Pension) Act" – the original *appropriation* of *Rs.60.00 lakhs* was augmented to *Rs.129.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.69.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *Rs.34.88 lakhs*; and

(III) Under "Civil –Pensionery Charges in respect of High Court Judges – Pensionery Charges in respect of High Court Judges recoverable from State Governments" - saving of *Rs.441.21 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.560.00 lakhs*).

Savings under the above two heads were due to receipt of less claims.

3. The above savings were partly offset by excess under the following heads:-

(I) Under "Civil – Superannuation and Retirement Allowances - Ordinary Pensions" – excess of *Rs.270.31 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.500.50 lakhs*) was due to receipt of more claims.

(II) Under one head excess of *Rs.75.17 lakhs* occurred constituting 38 percent of the sanctioned *appropriation*.

4. अनुदान के स्वीकृत अंश में, यद्यपि मार्च, 2008 में 128700.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, व्यय स्वीकृत प्रावधान से 9823.61 लाख रु. अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय 98,23,60,536/- रु. था)। **इस अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अतिरिक्त मांगों को स्वीकृत करवाकर विनियमित कराया जाना अपेक्षित है।**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

4. In the voted portion of the grant, although supplementary grant of Rs.128700.00 lakhs was obtained in March, 2008, the expenditure exceeded the sanctioned provision by Rs.9823.61 lakhs (actual excess was Rs.98,23,60,536/-). **The excess requires regularisation by Voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

Excess/savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
मुख्य शीर्ष ''2071'' पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and other Retirement Benefits				
मू.	O.	727297.00	855997.00	865572.13	+9575.13
पू.	S.	128700.00			
मुख्य शीर्ष ''2235'' सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare		3457.00	3705.48	+248.48

(I) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल'' के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(का) ''अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते - सामान्य पेंशन'' - 13179.99 लाख रु. का अधिक व्यय (385699.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) ''पेंशन का संराशीकृत मूल्य - सामान्य पेंशन'' - 544.51 लाख रु. का अधिक व्यय (73600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) ''उपदान - सामान्य पेंशन'' - 3090.51 लाख रु. का अधिक व्यय (81100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(I) Under Major Head "2071" - "Civil"- excess occurred under the following heads:-

(A) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions"– excess of Rs.13179.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.385699.50 lakhs);

(B) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions"- excess of Rs.544.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.73600.00 lakhs);

(C) "Gratuities – Ordinary Pensions" – excess of Rs.3090.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.81100.00 lakhs); and

(घा) ''छुट्टी नकदीकरण - सामान्य पेंशन'' - 2371.24 लाख रु. का अधिक व्यय (39600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ङ) ''परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान - सरकारी अंशदान'' - 2156.18 लाख रु. का अधिक व्यय (118699.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 133684.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 2007-08 में पिछली अवधि के सरकारी अंशदानों को शामिल किए जाने और साथ ही अनुमानों से अधिक एनपीएस वसीयत राशि के जमा हुए शेषों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम - सरकारी भविष्य निधियां - सामान्य भविष्य निधि की निक्षेप सहबद्ध बीमा की संशोधित स्कीम'' के अंतर्गत 242.50 लाख रु. का अधिक व्यय (3298.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

5. उपर्युक्त अधिक व्यय नीचे दिए अनुसार बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) 3.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल - के.स.स्वा.यो. पेंशन भोगियों का चिकित्सा उपचार - केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी'' के अंतर्गत 34000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 10000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 44000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 421.18 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा;

(III) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''परिवार पेंशन - परिवार पेंशन'' - 10634.27 लाख रु. की बचत (93800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(D) "Leave Encashment – Ordinary Pensions" – excess of Rs.2371.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.39600.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to the receipt of more claims.

(E) "Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme – Government Contribution" – excess of Rs.2156.18 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.133684.00 lakhs including supplementary grant of Rs.118699.00 lakhs) was due to inclusion of previous period Government contributions in 2007-08 and also transfer of accumulated balances of NPS legacy amount in excess of estimates.

(II) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Deposit Linked Insurance Scheme – Government Provident Funds – Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds" – excess of Rs.242.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3298.00 lakhs) was due to receipt of more claims.

5. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of Rs.3.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under three heads.

(II) Under Major Head "2071" - "Civil - Medical Treatment of CGHS Pensioners - Central Government Pensioners" – the original provision of Rs.34000.00 lakhs was augmented to Rs.44000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.10000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.421.18 lakhs;

(III) Under Major Head "2071" - "Civil"– savings occurred under the following heads:-

(A) "Family Pensions – Family Pensions" – saving of Rs.10634.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.93800.00 lakhs);

(खा) "भविष्य निधियों को अंशदान - सामान्य पेंशन'' - 283.31 लाख रु. की बचत (1380.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Contribution to Provident Funds – Ordinary Pensions" - saving of Rs.283.31 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1380.00 lakhs);

(गा) "विधायकों-संसद सदस्यों को पेंशन'' - 154.52 लाख रु. की बचत (2680.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "Pensions to Legislators - Members of Parliament" - saving of Rs.154.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2680.50 lakhs); and

(घा) "केंद्रीय सरकार के अधिशेष घोषित किए गए कर्मचारियों को विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम से संबंधित अनुग्रहपूर्वक अदायगियां - सामान्य पेंशन'' - 180.19 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Ex-gratia Payments arising out of Special Voluntary Retirement Scheme to Central Government Employees declared as surplus – Ordinary Pensions" – saving of Rs.180.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above five heads were due to the receipt of less claims.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 58.24 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 70 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.58.24 lakhs occurred constituting 70 percent of the sanctioned provision.